भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 144

उत्तर देने की तारीख: 29.11.2021

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु प्रशिक्षित शिक्षक

†144. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसडी) की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है और उनके लिए कितने शिक्षक उपलब्ध हैं;

(ग) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम ऐसे बच्चों को प्रवेश देने वाले विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों पर लागू होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) यह संज्ञान में लाया जाता है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समग्र शिक्षा के तहत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए एक समर्पित घटक है जिसके माध्यम से सामान्य स्कूल में सीडब्ल्यूएसएन की जरूरतों को उचित रूप से पूरा करने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के माध्यम से अलग संसाधन सहायता उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रावधान जैसे, पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायक उपकरण, सहायक उपकरण और शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) आदि उपलब्ध कराए गए हैं।

समग्र शिक्षा योजना के अनुसार, विशेष शिक्षकों को ब्लॉक या क्लस्टर स्तर पर या आवश्यकता के अनुसार तैनात किया जा सकता है और वे स्कूलों के एक समूह को कवर करते हुए, जहां विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को नामांकित किया जाता है, एक यात्रा मोड में काम कर सकते हैं। यात्रा मोड पर विशेष शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की विविध और अनूठी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य शिक्षकों को सहायता प्रदान करते हैं। यूडाइज+ (2019-20 अनंतिम) के अनुसार, स्कूलों में 22,49,069 सीडब्ल्यूएसएन नामांकित हैं। वर्ष 2021-2022 के लिए समग्र शिक्षा के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 28439 विशेष शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन विशेष शिक्षकों द्वारा यात्रा मोड पर 390323 स्कूलों को संसाधन सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) से (घ) समग्र शिक्षा योजना नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित और विनियमित है और यह अधिनियम के कार्यान्वयन में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता करती है। आरटीई अधिनियम, 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल तक पहुंच और बाधा मुक्त पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेश का समर्थन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफल हो सकें। यह अपने ढांचे के भीतर, समान गुणवत्ता वाली स्कूल शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को भी रेखांकित करता है। समग्र शिक्षा योजना को भी एनईपी 2020 की सिफारिशों के साथ जोड़ा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

*****